Vikrant Institute of Technology and Management, Gwalior

Ref: VITM/G/Principal/2019-20/21

Date: 17th March 2020

Notice-21

All the students of VITM, Gwalior are hereby informed that as per notice received from RGPV and orders from Government of Madhya Pradesh, regular classes will remain suspended from 18th March 2020 till further orders.

Students are advised to utilise online platform (Whatsapp) for academic activities during the above period. Mid semester and end semester examination -2020 will be conducted as per pre-defined schedule already released by RGPV.

17/03/2020

Prof. Pavan Agrawal
[Principal]

Copy to:

1. Chairman Sir (For-info)
2. Secretary Sir (For-info)
3. DMD Ma'am (For-info)
4. Dean Student Welfare
5. Dean Academic (VITM)
6. Exam Superintendent
7. I-Year Coordinator
8. All the HOD's (ME, FT, CE, EC, EE, CS, IT, Management)

8. Admin Officer
9. Library Officer
10. Transport Officer
11. City Office
12. Notice Board

17/03/2020

Prof. Pavan Agrawal
[Principal]

Scanned by CamScanner

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)–462033
फोन : 0755–2734913, 2678897
फैक्स : 0755–2742006
ईपीएबीएस : 0755–2678891, 2678881
ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net
वेबसाईट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALA
(State Technological University of Madhya Prade
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462
Phone : 0755 - 2734913, 2678
Fax : 0755 - 2742
EPABX: 0755 - 2678891, 2678
Email : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.
Website : www.rgpv.a

क्रमांक/एफ–3/प्रशा/रागांप्रौवि/2020/1335 /भोपाल, दिनांक 16/03/2020

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

विषयः– COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र क्रमांक/36/प्र.स./स्वा/सत्रह/मेडि–तीन/भोपाल, दिनांक 15.03.2020

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है। पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। कृपया आपके स्तर पर पत्र में निहित निर्देशों के संदर्भ में कार्यवाही सुनिश्चित करे । इस अवधि में उपलब्ध Online Platform का उपयोग कर यथासंभव शैक्षणिक कार्यवाही का संचालन करे एवं नियमित कक्षाऐं प्रारभ होने पर अतिरिक्त कक्षाऐं संचालित करें । संस्थाओं में संचालित मिड सेमेस्टर, प्रेक्टिकल एवं सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन यथावत् पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रहेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

कुलसचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल

क्रमांक/एफ–3/प्रशा/रागांप्रौवि/2020/1336 /भोपाल, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति महोदय के निज सचिव/माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--00--

क्रमांक 36/प्र.स./स्वा/सत्रह/ मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15/03/2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   शासन के समस्त विभाग,
   समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त संभागायुक्त/ कलेक्टर मध्य प्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत

विषयः- COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश ।

--00--

COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है।

2/ उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुऐ आज दिनांक 15.03.2020 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ।
2. सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ ।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखे जाने के लिये आदेश जारी किये जाएँ ।
4. आगनवाडियों को 31 मार्च 2020 तक बन्द किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जाएँ।
5. कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाए।
6. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाए।
7. धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया जाए।

8. 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपा किए जाएँ।
9. विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधा किया जाएँ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
15/3/2020
(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)
प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक-37/सत्रह/ मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15 /03 /2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि संचालनालय, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/2020
प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन